कार्यालय तहसीलदार, तहसील– कुसमी, जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

–: जांच प्रतिवेदन :–

क्रमांक / 189 / तह. / वाचक / 2026 कुसमी, दिनांक 06 / 02 / 2026

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) महोदय,
अनुविभाग–कुसमी,
जिला– बलरामपुर–रा.गंज (छ.ग.)

विषय :– ग्राम गजाधरपुर तहसील कुसमी के खसरा नंबर– 528 में स्वीकृत अनुमति के विरुद्ध अतिरिक्त आम के वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

संदर्भ:– हल्का पटवारी, प.ह.नं. 09 का जाँच प्रतिवेदन / पंचनामा दिनांक 06 / 02 / 2026।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पंचनामा प्रतिवेदन के माध्यम से ग्राम गजाधरपुर, प.ह.नं. 09, रा.नि.मं. कुसमी स्थित भूमि खसरा नंबर– 528 रकबा 0.020 हे. में वृक्षों की अवैध कटाई की शिकायत पर की गई जाँच की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1– <u>अनुमति का विवरण :–</u> संबंधित भूस्वामी (विशुन पिता शीतल वगैरह) द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुसमी के आदेश क्रमांक / 4786 / वाचक / अ.वि.अ. / 2025 दिनांक 03 / 12 / 2025 के माध्यम से केवल 01 (एक) आम के पेड़ को काटने की वैधानिक अनुमति प्राप्त की गई थी।

2– <u>मौका निरीक्षण :–</u> हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 06 / 02 / 2026 को किए गए मौका निरीक्षण एवं पंचनामा के दौरान पाया गया कि ग्राम गजाधरपुर स्थित उक्त भूमि के अतिरिक्त खसरा नम्बर– 626 / 1 रकबा 0.450 हे. पर कुल 05 (पाँच) आम के पेड़ काटे गए हैं।

3– <u>उल्लंघन की स्थिति :–</u> मौके पर कटे हुए पेड़ों के ठूँठ विद्यमान हैं, जिनकी स्थिति से स्पष्ट है कि ये वृक्ष हाल ही में काटे गए हैं। इस प्रकार, स्वीकृत अनुमति (01 पेड़) के विरुद्ध 05 (पांच) अतिरिक्त आम के पेड़ों की अवैध रूप से कटाई की गई है।

4– <u>निष्कर्ष :–</u> भूस्वामी द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर खसरा नम्बर– 626 / 1 रकबा 0.450 हे. में बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बगैर वृक्ष कटाई कर छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–240 में विहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

अतः उक्तानुसार जाँच प्रतिवेदन, पटवारी द्वारा प्रस्तुत पंचनामा सहित छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–240 में विहित प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :– **हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मूल पंचनामा**
दिनांक 06 / 02 / 2026 एवं खसरा नम्बर– 626 / 1
संबंधी बी–01 की प्रति।

नायब तहसीलदार,
तहसील– कुसमी
जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)